



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47028

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3224/2026

पुनीत कुमार सोनकर

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुरेश कुमार, सुयश पांडे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुयश पांडे और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. विरोधी पक्षों के वकीलों ने संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई और हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 8 जनवरी 2008 को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त गांव के निवासी आनंद कुमार सिंह का वर्ष 2014 में निधन हो गया और मृतक की पत्नी होने का दावा करने वाली प्रज्ञा सिंह ने खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष परिवार रजिस्टर में अपना और अपनी बेटी का नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, वाराणसी के बारागांव स्थित खण्ड विकास अधिकारी ने उक्त आवेदन पर विचार किया और उस पर एक अनुमोदन करते हुए एक सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता (जो ग्राम विकास अधिकारी थे) को दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करने तथा प्रचलित नियमों के अनुसार आवेदन में उल्लिखित नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, नाम दर्ज कराने के आवेदन को लेकर पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे और सहायक विकास अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को 23.12.2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि बिना किसी विशिष्ट आदेश के याचिकाकर्ता ने नाम क्यों दर्ज कराया और प्र0सु0रि0 क्यों न दर्ज की जाए और अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्तर प्रस्तुत किया और उसके बाद 31.12.2025 को सहायक विकास अधिकारी, पंचायत बरगाँव, वाराणसी ने एक आदेश पारित किया, जो नीचे उद्धृत है:

"प्रेषक,

सहायक विकास अधिकारी (पं०) बड़ागाँव-वाराणसी

प्रेष्य,

सचिव/ग्राम विकास अधिकारी

ग्रा०पं०-विराव कोट

वि०ख०-बड़ागाँव-वाराणसी विषय-आपकेद्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29.12.2025 के संदर्भमें।

आपके द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से क०सं० 01 से लगायत 09 तक में परिवार रजिस्टर ग्रा० पं० विराव कोट वि०ख० बड़ागाँव, तहसील पिण्डरा, जनपद वाराणसी जो परिवार रजिस्टर के मकान सं० 118 में नाम दर्ज करनेके सम्बन्ध में अवगत करना है, कि परिवार रजिस्टर में किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज, संसोधन या निरस्त करने का अधिकार सहायक विकास अधिकारी (पं०) में' नेहित है। संलग्न-उ०प्र०पंचायत राज (कुटुम्ब रजिस्ट्रों का अनुरक्षण) नियमावली 1970 की छाया प्रति। आपके द्वारा बिना सहायक विकास अधिकारी (पं०) के आदेश के ग्रा०पं० विराव कोट परिवार रजिस्टर में मकान सं० 118 में श्रीमती प्रज्ञा सिंह अ अनन्या सिंह का नाम दर्ज किया गया है। साथ ही अभियुक्ति के कालम मेंस्पष्ट लिखा गया है, कि स०वि०अ० (पं०) बड़ागाँव केआदेश व सलाह पर किया गया है। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य / आदेश की कापी पत्र केसाथ संलग्न नहीं है। जब कि आवेदन पत्र पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि गा०वि०अ० / ग्रा०पं०अ० जॉचोउपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। स०वि०अ० (पं०) के पास Para Judiciary/अर्धन्यायिक शक्ति होती है। जिसके तहत स०वि०अ० (पं०) दर्ज, संसोधन या निरस्त करने हेतु लिखित आदेश देते है। जिसका अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया है। जो Para Judiciary शक्ति वाले आदेश का अतिक्रमण है। कुटरचना के सन्वन्ध में स्पष्ट करना है कि परिवार रजिस्टर ग्रा०पं० विराव कोट, वि०ख० बड़ागाँव, तहसील पिण्डस जनपद वाराणसी के मकान सं० 118 के परिवार के सदस्यों का विवरण पृष्ठ सं० 251 पर एक से लगावत 15 तक कमानुसार तथा पृष्ठ सं० 252 पर 18 से 19 तक परिवार के सदस्यों का नाम अंकित है। परन्तु आप द्वारा पृष्ठ सं० 252 पर कंठसं० 20 और 21 कमांक पर नाम दर्ज न करते हुये पृष्ठ सं० 251 पर ही क०सं० 15. के बाद क्रमांक 20 और 21 अंकित किया गया हैजा कुटरचना का स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसके लिये आप पूर्णरूप से दोषी है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्ष्य-परिवार रजि० के म०सं०-118 के पृष्ठ सं० 251 252 की छायाप्रति।

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर आपको दोषी मानते हुये विधिक कार्यवाही क्यो न प्रारम्भ की जाए?

सहायक विकास अधिकारी (पं०)

बड़ागाँव-वाराणसी"

4. इसी पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि सबसे पहले तो, रिट याचिकाकर्ता को इस मामले में शामिल ही नहीं किया जाना चाहिए था, और न ही उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का कोई औचित्य है। उनका यह भी तर्क है कि इस मामले में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि भी हुई है, क्योंकि जिला विकास अधिकारी ही नियुक्ति प्राधिकारी हैं। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि 'कारण बताओ नोटिस' के जवाब में रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर कोई विचार नहीं किया गया है।
6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि अब तक कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है; और यदि भविष्य में कोई आरोप-पत्र जारी किया जाता है और उसे याचिकाकर्ता को सौंपा जाता है, तो याचिकाकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह अधिकार-क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए, उस आरोप-पत्र को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अथवा किसी उपयुक्त मंच के समक्ष चुनौती दे; और साथ ही इस दावे को भी सिद्ध करे कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई कदाचार नहीं किया है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी आवश्यक हो।
7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई भी उचित आधार नहीं पाता है; विशेष रूप से तब, जब विभागीय कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की गई है। न तो रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है और न ही उसे आरोप-पत्र सौंपा गया है। यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो रिट याचिकाकर्ता के लिए उस संबंध में कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दे उठाने का विकल्प सदैव खुला रहेगा।
8. तदनुसार, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

9 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।